राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 25/2024

दायर दिनांक 24.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....वादी

बनाम्

1. शम्भुलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी बृजपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....प्रतिवादी

उपस्थित :– 01. पैरोकार तहसीलदार।
02. श्री मुकेश कुमार धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादी

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 20/04/2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आंट पटवार मण्डल रेसुन्दा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 285 रकबा 0.6394 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 285 रकबा 0.6394 हैक्टेयर में से 0.1214 हैक्टेयर भूमि में खातेदार का मौके पर काश्त नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया जाकर प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर आराजी नम्बर 285 रकबा 0.6394 हैक्टेयर में से 0.1214 हैक्टेयर भूमि पर खातेदार द्वारा मौके पर अवैध खनन किया होकर खड्डा में पानी भरा हुआ हैं।

अतः प्रतिवादी की ग्राम आंट की आराजी नम्बर 285 रकबा 0.6394 हैक्टेयर में से 0.1214 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुआ। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री मुकेश कुमार धाकड़ ने प्रस्तुत वादपत्र का दिनांक 18.07.2024 को जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की कलम नम्बर 1 में आराजी नं 285 मौजा आंट प.ह. रेसुन्दा मे स्थित होना स्वीकार है किन्तु उक्त आराजी राजस्व की कृषि भूमि नहीं रही है। इस आराजी मे खनिज विभाग बिजौलिया द्वारा क्वारी लाईसेन्स प्रतिवादी उक्त आराजी का क्वारी लाईसेन्स धारी है। वादपत्र की कॉलम संख्या 2 गलत अंकित होकर अस्वीकार है। उक्त आराजी नं. 285 कृषि योग्य भूमि नहीं होकर खनिज सेन्ड स्टोन के खनन कार्य का क्वारी लाईसेन्स सं. 1 सन् 2018 जारी सुदा है। इस कारण मौके पर काश्त नहीं की जाती है बल्कि वैध खदान का खड्डा क्वारी लाईसेंस के साथ संलग्न नक्शा में A से F स्थान जो 127 मीटर में 76 मीटर मे ही स्थित है जो एग्रीमेन्टेड क्षेत्र मे है। कृषि हेतु यह भूमि शेष नहीं रही है। क्वारी लाईसेंस मय नक्शा की फोटो प्रति संलग्न है। वादपत्र की कॉलम नं. 3 अस्वीकार है। प्रतिवादी की खातेदारी भूमि है किन्तु खनिज अधिनियम एवं नियमो के अन्तर्गत जब खनिज विभाग ने राज्यपाल के मार्फत खनिज लाईसेन्स स्वीकृत किया है तो कृषि कार्य करना गौण होकर खनिज सेन्ड स्टोन निकासी की भूमि हो जाती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राज्य सरकार का कानून है जबकि खनिज अधिनियम केन्द्र का कानून है जो प्रभावी होगा। इस प्रकार काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान खनिज अधिनियम (MMRD) के प्रावधानों के मुकाबले शुन्य एवं अप्रभावी है। कॉलम संख्या 4 जिस प्रकार अंकित की गयी है वह विधि विरूद्ध होकर अस्वीकार है। खनन कार्य कतई अवैध नहीं होकर क्वारी लाईसेन्स संख्या 1/2018 के तहत है जो राज्य सरकार के खनिज विभाग की स्वीकृति से वैध खनन कार्य है इसे अवैध नही कहा जा सकता है। विपक्षी ने क्वारी लाईसेन्स के तहत भाटक (रेन्ट) जमा करवायी है– खनिज सम्पदा की रायल्टी, सेल्स टेक्स जमा करा रहा है इसे अवैध खनन नहीं माना जा सकता है। विपक्षी प्रतिवादी का एक इंच जमीन पर अवैध खनन नहीं है। पर्चा मौका मुझ प्रतिवादी की मौजूदगी मे नही बनाकर गलत बनाया है। खनिज विभाग के स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कोई अवैध खनन नही हैं। क्वारी लाईसेन्स के संलग्न नक्शे में वर्णित भूमि पर विपक्षी प्रतिवादी को खनन कार्य करने का वैध अधिकार राज्य सरकार ने प्रतिवादी को प्रदान कर रखा है जिसकी नपती एवं पर्चा मौका मुक्त प्रतिवादी की उपस्थिति मे बनाये जाने पर सही स्थिति प्रकट हो सकेगी। सभी पर्चे मौके मुझ जवाबदाता की अनुपस्थिति मे होकर गलत होने के अलावा विधि की मंशा के अनुरूप नही है। अवैध खनन का आरोप निराधार होकर प्रकरण निरस्त योग्य है। वादपत्र की कॉलम नं 5, 6, 7 कानूनी होकर जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण आधारहीन होकर खारिज योग्य है। खातेदारी भूमि मे राज्य सरकार भी खनिज नीति के तहत क्वारी लाईसेन्स संख्या 1/2018 स्वीकृत हैं।

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

स कारण मुझ प्रतिवादी की खातेदारी भूमि को बिलानाम नहीं किया जा सकता है। खनिज विभाग द्वारा एग्रीमेन्टेड क्वारी लाईसेन्स खातेदारी मे धारा 177 के प्रावधान लागु नही होते है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत यह वाद–पत्र चलने योग्य नही है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादी खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण में निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी।

तनकी नम्बर 1 :– आया वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज रेकॉर्ड होकर भूमि की किस्म बारानी तृतीय अंकित हैं।

.... जिम्मे वादी

तनकी नम्बर 2 :– आया वादग्रस्त कर आराजी नम्बर 285 रकबा 0.6394 हैक्टेयर में से 0. 1214 हैक्टेयर भूमि में मौके पर काश्त नहीं हैं।

.... जिम्मे वादी

तनकी नम्बर 3 :– आया वादग्रस्त भूमि में रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि पर खातेदार द्वारा मौके पर अवैध खनन किया होकर खड्डा में पानी भरा हुआ हैं।

.... जिम्मे वादी

तनकी नम्बर 4 :– आया वादग्रस्त भूमि की खातेदार द्वारा खातेदारी अधिकार कृषि कार्य करने हेतु दिया गया हैं जिसकी शर्तो की पालना नही की जा रही हैं।

.... जिम्मे वादी

तनकी नम्बर 5 :– आया वादग्रस्त आराजी नम्बर 285 का कुल रकबा में से खनिज विभाग बिजौलियां द्वारा खनन कार्य करने हेतु जारी क्वारी लाईसेन्स में दर्ज होकर प्रतिवादी सम्पूर्ण रकबा में खनन कार्य करने हेतु क्वारी लाईसेन्सधारी हैं।

.... जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नम्बर 6 :– आया वादग्रस्त भूमि का पर्चा मौका गलत बनाया हैं एवं प्रतिवादी द्वारा एक इंच जमीन पर भी अवैध खनन कार्य नहीं किया हैं।

.... जिम्मे प्रतिवादी

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम आंट का प्रस्तुत किंया जो प्रदर्श–1 हैं, पटवारी हल्का रेसून्दा का तहसीलदार बिजौलियां को प्रस्तुत प्रकरण पत्र पेश किया जो प्रदर्श–2 हैं, नक्शा ट्रेस ग्राम आंट का पेश किया जो प्रदर्श–3 हैं, खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी ग्राम आंट का पेश किया जो प्रदर्श–4 हैं, 3 डी गूगल मेप ग्राम आंट का पेश किया जो प्रदर्श–5 हैं की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण में वादी ने पी–डब्ल्यू– 1 अशोक जाति प्रजापत पटवारी प0ह0 रेसून्दा के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली हैं।

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पी–डब्ल्यू–1 अशोक जाति प्रजापत पटवारी प0ह0 रेसून्दा ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम आंट प0ह0 रेसून्दा स्थित आराजी नम्बर 285 रकबा 0.6394 हैक्टेयर भूमि शम्भुलाल पुत्र भंवरलाल भील निवासी बृजपुरा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। दिनांक 23.01.2024 को गिरदावर सा0 के साथ मौका देखा जाकर मौका पर्चा तैयार किया। जो प्रदर्श –1 होकर उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त आराजी में रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि में अवैध खनन होकर खड्डे में पानी भरा हुआ होना अंकित किया, जो सही हैं। तहसीलदार साहब के समक्ष उक्त आराजी में से रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि का कृषि से अकृषि (अन्य प्रयोग) में प्रयोग होने से खातेदारी निरस्त करने हेतु धारा 177 के तहत् प्रकरण तैयार कर पेश किया जो प्रदर्शनानुसार होकर उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। चूंकि ग्राम आंट की आराजी नम्बर 285 के उतरी दिशा में गे0मू0 नाला स्थित हैं एवं नाले से निर्धारित दूरी में किया गया खनन अवैध खनन की श्रेणी में आता हैं। इसलिए उक्त आराजी संख्या 285 में रकबा 0.1214 हैक्टेयर में धारा 177 की कार्यवाही की गई हैं।

जिरह – उक्त आराजी का मौका निरीक्षण हेतु लिखित में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ। आराजी सं. 285 का मौका देखते समय नक्शा लट्ठा व खसरा चौसा रिकॉर्ड मौके पर उपलब्ध था। उक्त भूमि शम्भुलाल पुत्र भंवरलाल भील के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं। आराजी सं. 285 खनन क्वारी लाईसेन्स में जुड़ा होकर एग्रीमेन्ट एरिया हो तो मुझे पता नहीं हैं। मौके पर प्रदर्श–1 में वादग्रस्त आराजी सं. 285 के किसी भी दिशा में नाला होने का अंकन नहीं हैं। प्रदर्श–1 में तहसीलदार व माइनिंग विभाग के किसी कर्मचारी की उपस्थिति का अंकन नहीं हैं। माईनिंग विभाग से वादग्रस्त आराजी सं. 285 के सम्बन्ध में व उसके स्वीकृत क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही की प्रदर्श–1 में माईनिंग विभाग के किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर नही हैं। प्रदर्श में खड्डे की लम्बाई चौड़ाई, गहराई का अंकन नहीं हैं। मौका निरीक्षण से पूर्व खातेदार को सूचना नहीं की गयी। प्रदर्श– 5 में अंक्षाश व देशान्तर का अंकन नहीं हैं। आराजी सं. 285 के किस दिशा में खड्डा हैं उसका उल्लेख नही हैं।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 शम्भुलाल पिता भंवरलाल जाति भील निवासी बृजपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 शम्भुलाल पिता भंवरलाल जाति भील निवासी बृजपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम आंट पटवार हल्का रेसुन्दा में मेरी आराजीयात खसरा नम्बर 285 रकवा 0.6394 हेक्टेयर स्थित है जो कि कृषि भूमि नहीं होकर आराजी में खनिज विभाग बिजौलियां द्वारा क्वारी लाईसेन्स बाबत् खनन

लगातार पेज संख्या 05 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

जारी करवा रखा है, जिसके क्वारी लाइसेंस संख्या 1 सन् 2018 है। खनन कार्य हेतु लाइसेंस जारी होने से मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। मौके पर वैद्य खदान का लेकर क्वारी लाइसेंस के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित A – F स्थान जो 127 m में नं III क्षेत्र में स्थित है, जो कि कि मेरा एग्रीमेंटेट एरिया है। कृषि हेतु यह भूमि शेष नहीं है मेरे द्वारा वादग्रस्त आराजी मे किया गया खनन कार्य किसी प्रकार से अवैध खनन की में नहीं आता है। मेरा खनन कार्य क्वारी लाइसेंस सं. 1/2018 के तहत होकर राज्य कर को खनिज विभाग की स्वीकृति से वैध खनन कार्य है। मेरे द्वारा क्वारी लाइसेंस के तत आवश्यक रेंट जमा करवाई है। व खनिज सम्पदा की रॉयल्टी सेल्स टेक्स जमा करवाता रहा है। वादी द्वारा मेरी आराजी का मौका पर्चा मेरी गैर मौजूदगी में बनाया गया, जिसकी मुझे कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। क्वारी लाइसेंस के नक्शे में वर्णित भूमि पर मुझे खनन कार्य करने का वैध अधिकार राज्य सरकार द्वारा प्रदान कर रखा है। अगर वादग्रस्त आराजी का नाम एवं मौका पर्चा मेरी उपस्थिति में बनाया जाता है। सही स्थिति प्रकट हो जाती, मेरे ऊपर लगाया गया अवैध खनन का आरोप निराधार है। मेरे द्वारा मेरे स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा जवाब के साथ क्वारी लाइसेंस 1/2018 की प्रति पेश की प्रदर्श डी–1 है स्वीकृत खनन क्षेत्र का क्वारी लाइसेंस के साथ संलग्न नक्शा प्रदर्श डी–2 है। मेरी जमीन को बिलानाम नहीं किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की शहादत प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी।

अधिवक्ता विपक्षी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अधिवक्ता विपक्षी एवं पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया। उक्त प्रकरण में मौका पर्चा प्रतिवादी को बिना सूचना दिए बनाया गया। प्रतिवादी जवाबदाता की अनुपस्थिति मे, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो की अवहेलना कर कायम किया गया है एवं आराजी नं. 285 कृषि योग्य भूमि नहीं होकर खनिज सेन्ड स्टोन के

लगातार पेज संख्या 06 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजोलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजोलियाँ जिला–भीलवाड़ा

खनन कार्य का क्वारी लाईसेन्स सं. 1 सन् 2018 जारी सुदा है। इस कारण मौके पर काश्त रही की जाती है बल्कि वैध खदान का खड्डा क्वारी लाईसेंस के साथ संलग्न नक्शा में A है। स्थान जो 127 मीटर में 76 मीटर मे ही स्थित है जो एग्रीमेन्टेड क्षेत्र मे है। कृषि हेतु यह भूमि शेष नहीं रही है। इसे अवैध नही कहा जा सकता है। विपक्षी ने क्वारी लाईसेन्स के तहत भाटक (रेन्ट) जमा करवायी है– खनिज सम्पदा की रायल्टी, सेल्स टेक्स जमा करा रहा है इसे अवैध खनन नहीं माना जा सकता है। खनिज विभाग द्वारा एग्रीमेन्टेड क्वारी लाईसेन्स खातेदारी मे धारा 177 के प्रावधान लागु नही होते है। पत्रावली पर आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर वादी अपने वाद को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा हैं। उक्त वादपत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

अतः मौजा ग्राम आंट पटवार मण्डल रेसुन्दा तहसील बिजौलिय स्थित आराजी नम्बर 285 रकबा 0.6394 हैक्टेयर में से 0.1214 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अस्वीकार किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। सूचनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 20/04/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड ... गुमशुदा .... Nil
बईजलास – अजीत ... शहर .... Nil
वादपत्र संख्या 25 / 2024 ... तक .... Nil .... का

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसील... ... 20 माह 04 वर्ष 2026

बनाम

1. शम्भुलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी ...
भीलवाड़ा (राज0)।

...सिंह राठौड़)
...अधिकारी

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम ...

निर्णय दिनांक : 20 / 04 / ...

डिक्री दिनांक : 20 / 04 / ...

–: डिक्री :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री मुकेश धाकड़ के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

मौजा ग्राम आंट पटवार मण्डल रेणुन्दा तहसील बिजौलियां जिला आराजी नम्बर 285 रकबा 0.6394 हेक्टेयर में से 0.1214 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अस्वीकार किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बिजौलियां को पूर्णतया तामील जारी की। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ...

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 25 / 2024

दायर दिनांक 24.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... डिक्रीदार

बनाम्

1. शम्भुलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी बृजपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... मदयूनान

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 20 / 04 / 2026

डिक्री दिनांक : 20 / 04 / 2026

–: डिक्री :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री मुकेश धाकड़ के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

मौजा ग्राम आंट पटवार मण्डल रेसुन्दा तहसील बिजौलिय स्थित आराजी नम्बर 285 रकबा 0.6394 हैक्टेयर में से 0.1214 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अस्वीकार किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार बिजौलियां को सूचनार्थ तहरीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करें।

पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नीज ....Nil.......... मुबलिग ....Nil..........

मुबलिग ....Nil.... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....Nil..........

फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....Nil.......... का

अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 04 वर्ष 2026 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक / रीडर / 2026 / 971 दिनांक : 29 / 09 / 2026

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियां

विषय :– राजस्व **वादपत्र संख्या 25 / 2024 दायर दिनांक 24.01.2024 अनवान्** राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0) **बनाम्** शम्भुलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी बृजपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** में सूचना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि राजस्व **वादपत्र संख्या 25 / 2024 दायर दिनांक 24.01.2024 अनवान्** राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0) **बनाम्** शम्भुलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील निवासी बृजपुरा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत प्रकरण अस्वीकार किया गया हैं। जिनके आदेश की फोटो प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित हैं।

संलग्न :– आदेश की फोटो प्रति।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां